न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 174 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पुष्पादेवी पत्नी ईश्वरचंदजी कौम खारवाल निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती अनिता पुत्री गोविंदराम पत्नी राजेन्द्रकुमार कौम खारवाल निवासी पचपदरा
2.लूणाराम पुत्र गोविंदराम कौम खारवाल निवासी पचपदरा।
3.भीखीदेवी विधवा गोविंदराम कौम खारवाल निवासी पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 27 / 2007 बअनवान अनितादेवी बनाम लूणाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेलाराम कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 04.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मण्डापुरा खालसा का गांव था जिसका दुबारा सैटलमेंट संवत 2024 में हुआ। पुराने खसरा संख्या 541 रकबा 15.04 बीघा खसरा संख्या 542 / 2 रकबा 5 बीघा नये खसरा संख्या 570, 579 बने है। पुराने खसरा संख्या 262 / 1, 541, 542 / 1 स्वर्गीय बद्रीनारायणजी के खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त भूमि का कब्जा उन्हे अपने पिता आसूजी से प्राप्त हुआ था। वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है। गोविंदराम की उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि के रूप में प्राप्त हुई थी। पैतृक भूमि का न्यायगमन दफा 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत होगा। गोविंदराम की हैसियत कर्ता खानदान की हो गई तथा वादग्रस्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा गोविंदराम का देहांत सन 1993 में यान सन 2005 से पूर्व हो गया था। जिससे गोविंदराम के 1 / 2 हिस्से उनके वारिसान में बराबर बराबर बांटा जायेगा यानि वादिनी को 1 / 6 हिस्सा संपूर्ण जायदाद में होगा। तथा 1 / 6 हिस्सा मृतक गोविंदराम की पत्नी को मिलेगा। म्यूटेशन की कार्यवाही उतराधिकार के जटिल बिन्दु को तय नहीं किया जा सकता था न अपीलांट उसमें पक्षकार थी। गोविंदराम के घर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का मुखिया लूणाराम मेरा भाई है यह वादिनी स्वयं स्वीकार कर रही है। कर्ता खानदान को भूमि बैचान का अधिकार है। जब तक बैचाननामा अपीलांट के हक में अस्तित्व में है तब तक अपीलांट के हकों को खत्म नहीं किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय किसी दस्तावेज की वैधता की जांच नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वर्ष 2005 से पूर्व पैतृक संपति में पुत्री को कोई हक हिस्सा नहीं था। वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है। गोविंदराम की उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि के रूप में प्राप्त हुई थी। पैतृक भूमि का न्यायगमन दफा 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत होगा। गोविंदराम की हैसियत कर्ता खानदान की हो गई तथा वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा गोविंदराम का देहांत सन 1993 में यान सन 2005 से पूर्व हो गया था। जिससे गोविंदराम के 1/2 हिस्से उनके वारिसान में बराबर बराबर बांटा जायेगा यानि वादिनी को 1/6 हिस्सा संपूर्ण जायदाद में होगा। तथा 1/6 हिस्सा मृतक गोविंदराम की पत्नी को मिलेगा। म्यूटेशन की कार्यवाही उतराधिकार के जटिल बिन्दु को तय नहीं किया जा सकता था न अपीलांट उसमें पक्षकार थी। गोविंदराम के घर का मुखिया लूणाराम मेरा भाई है यह वादिनी स्वयं स्वीकार कर रही है। कर्ता खानदान को भूमि बैचान का अधिकार है। जब तक बैचाननामा अपीलांट के हक में अस्तित्व में है तब तक अपीलांट के हकों को खत्म नहीं किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय किसी दस्तावेज की वैधता की जांच नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1993 Page 505
RRD 1991 Page 321
RRT 2006-07(Supp.) Page 153

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। वादिनी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है। तीनों वारिसों को बराबर बराबर हिस्सा दिया गया है। वादिनी के हक हिस्से तक अपीलांटगण द्वारा किये गये बेचान अवैध एवं शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को आवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी पी सी पर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीनी अपीलांट एक अनपढ औरत है जिस कारण सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं थी जिस कारण ऐसे दस्तावेजात को समय रहते पेश नहीं कर सकी है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं इस प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजात है जो प्रकरण का निस्तारण करने में भी अहम है इस वजह से न्यायहित में रिकोर्ड पर लेना आवश्यक एवं उचित है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांटगण द्वारा पेश दस्तावेजात का इस अपील में वर्णित विवादित खसरों से कोई संबन्ध नहीं है। पेश दस्तावेजात का इस अपील के न्याय निर्णय करने में कोई सहायक सिद्ध नहीं होगा। अतः उतरदाता द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से पाया कि रेस्पोडेंट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 को न्यायाहित में ग्रहण किया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोडेंट को अनुज्ञात किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर क्रय की गई है। रजिस्टर्ड बेचान आज भी प्रभावी है। रजिस्टर्ड बेचान को निष्प्रभावी करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। रेस्पोडेंट/वादिनी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का हक प्राप्त करने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी नहीं है। यदि वादिनी अपने हक हिस्से की जमीन लेने से पहले रजिस्टर्ड बैचान को खारिज करवाना आवश्यक है। अपीलांट सदभाविक क्रेता है। अपीलांट को सद्भाविक क्रेता होने से वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। रजिस्टर्ड बेचान अपीलांट के पक्ष में प्रभावी है। रेस्पोडेंट/वादिनी सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2007 बअनवान अनितादेवी बनाम लूणाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 को अपास्त किया जाता है।

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner